षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री नितिन नवीन, स०वि०स० डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स० श्री व्यासदेव प्रसाद, स०वि०स० श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स०	पटना शहर एवं इसके बाईपास में कुकुरमुत्ते की तरह निजी अस्पताल/नर्सिंग होम खुल गये हैं जिसमें डाक्टर एवं मरीज भी नियमित रूप से नहीं रहते हैं । बिचौलिया एम्बुलेंस चालकों की मिलीभगत से अस्पतालों का कारोबार फल-फूल रहा है । प्राय: सभी अस्पतालों में आई०सी०यू० एवं वेंटिलेटर बिना पूरी व्यवस्था के लगा दिया गया है और जो भी मरीज आते हैं उनको आई०सी०यू० अथवा वेंटिलेटर पर तबतक रखा जाता है जबतक दूसरा कोई मरीज नहीं आ जाता है । इन अस्पतालों/नर्सिंग होमों और दलालों के चक्कर में फंसनेवाले पटना से बाहर के गरीब मरीज होते हैं । पटना के इन अस्पतालों को लाईसेंस भी प्राप्त नहीं है और ये खुलेआम एम०सी०आई० के दिशानिर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं । अत: पटना में बिचौलियों के माध्यम से एम०सी०आई० के दिशानिर्देश के विपरीत चल रहे अस्पतालों/नर्सिंग होमों की जांच कराकर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।	स्वास्थ्य

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री लहान पासवान, स०वि०स० श्री बृजकिशोर बिंद, स०वि०स० श्री राजू तिवारी, स०वि०स० श्री निरंजन राम, स०वि०स० श्री नारायण प्रसाद, स०वि०स०	दुर्गावती जलाशय का निर्माण वर्ष 2014-15 में पूरा हुआ और 1050 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ । दुर्गावती जलाशय से 33000 हेक्टेयर की सिंचाई होनी है, जिसमें से पुरानी दुर्गावती नहर प्रणाली से 16000 हेक्टेयर एवं जलाशय के दायें एवं बायें निर्मित नहर प्रणाली से करीब 17000 हेक्टेयर की सिंचाई होनी है । मगर दुर्गावती पुरानी नहर प्रणाली से मात्र 8000 हेक्टेयर तथा नयी नहर प्रणाली से 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई हो रही है । नवनिर्मित नये नहर प्रणाली में अंतिम छोर तक पानी नहीं जा पा रहा है क्योंकि निर्मित नहर की क्षमता 600 एवं 300 क्यूसेक है, उसमें क्रमशः 200 एवं 100 क्यूसेक पानी भी नहीं प्रवाहित हो पा रहा है । गत् वर्ष जलाशय की क्षमता का 20 प्रतिशत भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ तथा इस वर्ष भी आधे से भी कम पानी रोका जा सका है । अतः जलाशय में पूर्ण क्षमता तक पानी भरने, मुख्य नहर में पूरी क्षमता से पानी प्रवाहित करने तथा अबतक अनिर्मित लघु नहर, वितरणी एवं ग्रामीण राजबाहा का निर्माण कर 33000 हेक्टेयर की भूमि का सिंचाई सुनिश्चित कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।	जल संसाधन

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/16- 633 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2016 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.3.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/16- 633 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2016 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशासी पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

28.3.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।